

06-06-19

पत्रांक-श्रम क० सं०-28/2019-179

बिहार सरकार

श्रम संसाधन विभाग

बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति

आदेश

बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011 के अंतर्गत जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर के ज्ञापांक(कॉलम 4 में वर्णित)से दुर्घटना में मृत 03 श्रमिकों के आश्रितों को ₹ 100000/- (एक लाख रूपए) प्रति कामगार की दर से ₹ 300000/- (तीन लाख रूपए) एवं 02 श्रमिक के स्वाभाविक मृत्यु के उपरांत आश्रितों को ₹ 30000/- (तीस हजार रूपए) प्रति कामगार की दर से ₹ 60000/- (साठ हजार रूपए) अर्थात् कुल राशि ₹ 360000/- (तीन लाख साठ हजार रूपए) मात्र भुगतान हेतु अनुदान की स्वीकृतोपरांत राशि विमुक्ति हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव के आलोक में मृतक/दावेदार कामगारों के आश्रितों को स्वीकृत राशि की विमुक्ति का आदेश दिया जाता है। मृतक/दावेदार कामगारों/शिल्पकारों का नाम, उनके आश्रितों का नाम एवं पता तथा बैंक लेखा संख्या निम्नांकित है:-

क्र. सं.	मृतक/दावेदार का नाम, उम्र, पिता/पति का नाम, कोटि	आश्रित का नाम(संबंध)	जिलाधिकारी/श्रम अधीक्षक का पत्रांक/दिनांक	पता	आश्रित का बैंक खाता संख्या	बैंक एवं शाखा का नाम, आई.एफ.एस.सी	स्वीकृत अनुदान की राशि	मृत्यु/ निःशक्तता का ब्यौरा, कार्य की प्रकृति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	स्व० चिंता देवी, 46, अनु० जाति	श्री राज कुमार पासवान(पति)	150/25.2. 2019	ग्रा०-बल्लोचक, पो०-भगवानपुर चकशेखु, था०+प्र०-दलसिंहसराय, समस्तीपुर	33408964 389	SBI, KOISK CHAKBAHAV D, SBIN0002322	₹ 100000/- (एक लाख रूपए)	दुर्घटना मृत्यु, बीड़ी श्रमिक व्यवसाय में कामगार मजदूर
2	स्व० राज कुमारी देवी, 62, अनु० जाति	श्री बिन्दु पासवान(पति)	151/25.2. 2019	ग्रा०+पो०-लखनीपुर महेशपट्टी, था०+प्र०-उजियारपुर, समस्तीपुर	33288999 586	SBI, UJIYARPUR, SBIN0004659	₹ 100000/- (एक लाख रूपए)	दुर्घटना मृत्यु, कृषि मजदूर व्यवसाय में कामगार मजदूर
3	स्व० मीना देवी, 47, सामान्य	श्री रंजन पोद्दार(पति)	187/09.03. 2019	ग्रा०+पो०-नीरपुर, था०+प्र०+जि०-समस्तीपुर	49711010 0005594	Bank of India RAMKISHUNPUR, BKID0004971	₹ 30000/- (तीस हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु, सिलाई एवं बुनाई व्यवसाय में कामगार मजदूर
4	स्व० माया देवी, 59, स्व० गंगा प्रसाद, सामान्य	श्री अशोक कुमार(पुत्र)	186/09.03. 2019	ग्रा०+पो०-वासुदेवपुर, था०+प्र०-कल्याणपुर, समस्तीपुर	50173484 377	Allahabad Bank, Jute Mill, ALLA0212451	₹ 30000/- (तीस हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु, कृषि मजदूरी व्यवसाय में कामगार मजदूर
5	स्व० विकास कुमार, 19, श्री सुरेश पौद्दार, सामान्य	श्रीमती शकुन्ती देवी(माता)	185/09.03. 2019	ग्रा०+पो०-कपूरी ग्राम, था०+प्र०+जि०-समस्तीपुर	49711011 0010676	Bank of India, Ramkishunpur, BKID0004971	₹ 100000/- (एक लाख रूपए)	दुर्घटना मृत्यु, सिमेन्ट लाने एवं उतारने व्यवसाय में कामगार मजदूर

कुल :- ₹ 360000/-

(तीन लाख साठ हजार रूपए मात्र)

2. उक्त राशि भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना में पोषित बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति के बचत खाता संख्या 37062727316 से "बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011" के सहायक अनुदान इकाई से विकलनीय होगी।

3. उपरोक्त स्वीकृत राशि (कॉलम नं० 8)का भुगतान RTGS के माध्यम से सीधे कॉलम नं० 3 में अंकित आश्रित के बैंक खाते कॉलम 6 में किया जाएगा।

4. प्रस्ताव पर सभापति, कार्यकारिणी समिति, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति-सह-प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना का संचिका सं० श्रम क० सं०-28/2019 के पृष्ठ-03/टि० पर अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(अजय कुमार सिंह)

लिपिक

ह०/-

(डा० गणेश कुमार झा)

मुख्य वित्त पदाधिकारी

ह०/-

(गोपाल मीणा)

कार्यकारी निदेशक।

ज्ञाप संख्या :-श्रम क० स०-28/2019

पटना, दिनांक :-

प्रतिलिपि :- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना, उपरोक्त आदेश के कॉलम 3 में अंकित आश्रित को उनके नाम के सामने अंकित खाता संख्या में कॉलम नं० 8 में स्वीकृत राशि RTGS के माध्यम से अन्तरित करना सुनिश्चित करेंगे। यदि किसी कारण राशि का अंतरण नहीं हो पाता है तो इसकी सूचना अविलंब मुख्य वित्त पदाधिकारी, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, नियोजन भवन को देंगे।

ह०/-

(अजय कुमार सिंह)

लिपिक

ह०/-

(डा० गणेश कुमार झा)

मुख्य वित्त पदाधिकारी

ह०/-

(गोपाल मीणा)

कार्यकारी निदेशक।

ज्ञाप संख्या :-श्रम क० स०-28/2019-172

पटना, दिनांक :- 06-06-19

प्रतिलिपि :- सचिव, बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

उक्त लाभुकों को बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत संचालित योजनाओं का लाभ नहीं दिया जाए। लेखा शाखा, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, बिहार, पटना, श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित। निदेशित है कि उक्त कुल स्वीकृत राशि ₹ 360000/- (तीन लाख साठ हजार रूपए) का बैंक से अंतरण के पश्चात लेखा संधारण करना सुनिश्चित करेंगे। श्रम अधीक्षक, समस्तीपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/ जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर को सूचनार्थ प्रेषित/आईटी0 मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग(विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/ प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित/ माननीय मंत्री के आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

21/6/25

04-06-19

(अजय कुमार सिंह)

लिपिक

6/6/19

(डा० गणेश कुमार झा)

मुख्य वित्त पदाधिकारी

04/06/19

(गोपाल मीणा)

कार्यकारी निदेशक।